जा सके। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया है कि वक्त सेटलमेन्ट आपसी सहमति से अलग अलग बांट ली थी परन्तु उक्त संबंध में कोई भी दस्तावेजात पेश नहीं किये है। अतः मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि दस्तावेजात के अभाव में वादग्रस्त आराजी को पैतृक पुश्तेनी माना जाना न्यायसंगत नहीं है। साथ ही पैतृक पुश्तेनी संपति में वादी/सायल का अधिकार है या नहीं यह मूलवाद के साक्ष्य का विषय है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी/सायल के के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू सायल/वादी के पक्ष में साबित नहीं हुआ है। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी/सायल ने उचित दस्तावेजात पेश नहीं किए है। अतः सुविधा का संतुलन सायल/वादी के पक्ष में साबित नहीं होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिंदू वादी/सायल के पक्ष में साबित नहीं हुए है। यदि दस्तावेजात के अभाव में वादी/सायल के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई तो गैरसायलान को अपूर्णीय क्षति कारित होगी।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण सायल/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र सायल/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सायल के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)